

धूमधाम से मनाया जाएगा रतलाम स्थापना महोत्सव

रतलाम 15 फरवरी | नगर निगम तिराहे पर 16 फरवरी मंगलवार को प्रातः 10:30 बजे नगर निगम व रतलाम स्थापना महोत्सव समिति के संयुक्त तत्वाधान में बसंत पंचमी पर रतलाम स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जावेगा।

16 फरवरी मंगलवार को प्रातः 10:30 बजे नगर निगम तिराहे पर रतलाम राज्य के जनक महाराजा रतनसिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलन कर रतलाम स्थापना से आज तक पर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जायेगा व आतिशबाजी कर मिठाई का वितरण किया जायेगा।

17 फरवरी बुधवार को दोपहर 03:00 बजे जेएमडी पैलेस पर संगोष्ठी (परिचर्चा) विषय – मेरा रतलाम (प्रगति के पथ पर) का आयोजन किया गया है। जिसमें मुख्य वक्ता विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप होंगे, वक्ता के रूप में रतलाम के वरिष्ठ पत्रकार श्री शरद जी जोशी व वरिष्ठ शिक्षाविद् श्री मुरलीधर चॉदनीवाला, कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउन्टेंट श्री एस.एल. चपलोद करेंगे।

रतलाम नगर के राजनैतिक, सामाजिक एवं शहर के समस्त नागरिकों से अपील जाती है कि अपने शहर का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर आयोजित कार्यक्रमों को सफल बनावें।

स्वच्छता में सहयोग देना हर नागरिक का कर्तव्य

स्वच्छता सर्वेक्षण –2021 के तहत शहर के कचरा मुक्त स्थलों पर रांगोली निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम के दौरान नागरिकों ने लिया रतलाम को स्वच्छता में नम्बर-1 बनाने का संकल्प

रतलाम 15 फरवरी | अगर हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारे घरों से ही कम से कम कचरा निकले तो काफी हद तक स्वच्छता बनाए रखने में हम योगदान दे सकते हैं। इसके लिए प्लास्टिक आदि में पैक चीजों का कम से कम इस्तेमाल किया जा सकता है।

उक्त समझाईश सोमवार को नगर के आधा दर्जन क्षेत्रों में सफाई मित्र समूह के सदस्यों ने रांगोली निर्माण और दीपदान के दौरान उपस्थित नागरिकों को दी है।

इस दौरान उन्होंने कहा कि हर घर में ज्यादातर प्लास्टिक में पैक चीजों का इस्तेमाल होता है। पैकिंग में रखी गई चीज का तो उपयोग कर लेते हैं, लेकिन पैकिंग मटेरियल को कचरे में फेंक देते हैं, जिससे कचरा ज्यादा निकलता है। अगर हम बाजार से घर का सामान लाते समय कपड़े या जूट का थैला इस्तेमाल करेंगे तो पॉलीथिन कम से कम हमारे घर में आएगी और हमारे घर में कचरा कम जमा होगा। उन्होंने लोगों से प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की सलाह दी और कहा कि स्वच्छता में सहयोग देना हर नागरिक का कर्तव्य है।

स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2021 के अंतर्गत निगमायुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा लगातार शहर के सभी क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत शहर में विशेष साफ-सफाई अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इसके साथ-साथ ही कचरा मुक्त स्थानों पर आकर्षक रांगोली और दीपदान के माध्यम से सफाई मित्र समूह के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानों, बागीचों, खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आह्वान लोगों से किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में

ही डाले। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान सोमवार को सफाई मित्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया है।

कचरा पात्र नहीं रखने पर अब फुटकर विक्रेताओं पर भी होगा जुर्माना कानवेंट स्कूल क्षेत्र में 21 फुटकर व्यापारियों पर हुआ जुर्माना

रतलाम 15 फरवरी । नगर को साफ-स्वच्छ रखने हेतु नगर निगम द्वारा नगर के नागरिकों, दुकानदारों आदि से कचरा संग्रहण हेतु कचरा पात्र रखने की अपील के बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं किन्तु नगर के सब्जी, फल-फुट सहित अन्य सामग्री के फुटकर विक्रेताओं द्वारा कचरा पात्र नहीं रखकर खुले में गंदगी फैलाई जा रही है ऐसे फुटकर व्यापारियों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कानवेंट स्कूल क्षेत्र के फुटकर व्यापारी द्वारा कचरा पात्र नहीं रखने व खुले में कचरा फेंकने पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत प्रकाश पर 100, अफजल, भूपेन्द्र कुमार, सुशील भरानी, राहुल सिसोदिया, वसीम खान, सद्दाम शेख, मोहम्मद अरशद, कलीम, छोटू, मुकेश, अमित कुमार, सुनील, संतोष, शंभु, संजू, आलोक चौधरी, बबलू, शिवम्, नरेश व मुकेश पर 50-50 रुपये का जुर्माना कर भविष्य में कचरा खुले में ना फेंकने व अनिवार्य रूप से कचरा पात्र रखने की समझाईश दी गई।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री एम.के. जैन, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

दो ड्रायवरो को कारण बताओ सूचना-पत्र

रतलाम 15 फरवरी । नगर निगम द्वारा निगम के कचरा संग्रहण वाहन तय रूट पर नहीं ले जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 2 ड्रायवरों का एक दिन का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का सूचना-पत्र जारी किया गया।

वार्ड क्रमांक 3 व 5 के कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर रणवीर व राकेश द्वारा तय रूट पर वाहन नहीं ले जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ज्ञातव्य है कि नगर निगम कचरा संग्रहण वाहनों पर जीपीएस सिस्टम से निगरानी रखी जाकर समय पर व तय रूट पर वाहन नहीं ले जाने पर ड्रायवर व क्लीनरों को दण्डित किया जा रहा है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 15 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

कल्याण नगर में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नागरिकों ने 26,62,144/- संपत्तिकर व 6,71,025/- जलकर जमा कराया

रतलाम 15 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1,10,000/- व जलकर 6,000/-, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,40,000/- व जलकर 55,775/-, अम्बे माता जवाहर नगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,000/- व जलकर 49,010/-, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,29,000/- व जलकर 43,670/-, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 1,22,000/- व जलकर 29,280/-, तिरुपति शिविर में संपत्तिकर 77,000/- व जलकर 19,850/-, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 1,27,000/- व जलकर 48,220/-, मार्निंग स्टार स्कूल शिविर में संपत्तिकर 1,12,000/- व जलकर 14,000/-, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 5,47,000/- व जलकर 86,540/-, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 1,02,000/- व जलकर 3,76,905/-, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1,82,500/- व जलकर 76,470/-, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 68,000/- व जलकर 47,595/-, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,17,000/- व जलकर 22,680/-, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,01,644/- व जलकर 55,320/-, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2,76,000/- व जलकर 59,500/-, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 26,62,144/- व जलकर 6,71,025/- की राशि जमा कराई। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 26,62,144/- संपत्तिकर व 6,71,025/- जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरों के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 22 के लिये 16 फरवरी को कल्याण नगर, वार्ड क्रमांक 18, 19 व 20 के लिये 17 से 18 फरवरी तक दीनदयाल नगर, वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 19 व 22 फरवरी को बोहरा बाखल, वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिये 23 फरवरी को रामगढ़, वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 24 से 25 फरवरी तक लक्कड़पीठा प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 26 फरवरी व 1 मार्च को आर्य समाज मंदिर धानमण्डी, वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 2 मार्च को जूनी कोर्ट किरण टॉकिज, वार्ड क्रमांक 28, 29, 36, 37 व 38 के लिये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनी, वार्ड क्रमांक 28 के लिये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 13 के लिये 6 मार्च को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 10 मार्च को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 12 व 15 मार्च को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 20 व 22 मार्च को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 25 से 26 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लिये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

659 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 15 फरवरी । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार

निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 15 फरवरी तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 659 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 15 फरवरी को अलकापुरी अम्बे चौक, गणेश देवरी व सैलाना रोड से 3 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/- वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे है लीकेज दुरस्त

116 दिनों में 143 वॉल्व व 787 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 15 फरवरी | शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 15 फरवरी तक 143 वॉल्व व 787 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

“रतलाम जलशक्ति अभियान” व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 15 फरवरी सोमवार को मीराकुटी, गांधी नगर मुख्य मार्ग एटीएम के पास, रेल नगर, जवाहर नगर सी कालोनी, कस्तुरबा नगर रोटरी गार्डन के पास, शास्त्री नगर मुख्य मार्ग, राजपूत बोर्डिंग, रतलाम हास्पीटल, गीता मंदिर रोड, हाट रोड मरीमाता चौराहा, उंकाला रोड पर पाईप लाईन लीकेज दुरस्त किये जानके के साथ ही अभय नगर में वॉल्व दुरस्त किया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव, श्री देवेन्द्र पवार आदि के निर्देशन में की गई।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नागरिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 15 फरवरी | निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाइन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 15 फरवरी | रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी
अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 15 फरवरी | नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल-सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात् पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकारक कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के

पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000-5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/15.02.2021/न.पा.निगम, रतलाम.